तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपालकृष्ण बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 161 / 2018	
02.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल कृष्ण पुत्र कन्हैयालाल पालीवाल निवासी 197, लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर के पास, तहसील बाप जिला जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.10.18 में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिले के किसी गांव के मूख्य मार्गो, बाजारों, गलियों आदि में विचरण करने वाले आवारा पशुआ को पकड़ने व उनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किस प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी की है और कौनसा जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है? आवारा पशुओं में खासतौर पर सूयर, बकरियां व गाये है व अन्य 6 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2019 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी बाप एवं पंचायत समिति बाप से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप को कार्यालय के पत्रांक 1732–1733 दिनांक 24.10.18 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा पत्र प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी बाप / विकास अधिकारी बाप को प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरित किया गया वो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा विकास अधिकारी बाप एवं विकास अधिकारी बाप द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाप को प्रेषित कर दिया गया परन्तु मुझे अभी तक किसी भी जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना–पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा सूचना ग्राम पंचायत से संबंधित है अतः कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी लगातार...	

स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील चलनें योग्य नहीं है। प्रथमतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जो देय नहीं हो सकती, द्वितीयत् सूचना का प्रार्थना पत्र पंचायत समिति बाप एवं ग्राम पंचायत बाप के लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है अतः उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई तो उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए। विकास अधिकारी बाप या ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाप के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। विकास अधिकारी बाप के प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रधान, पंचायत समिति बाप एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाप के प्रथम अपीलीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत बाप है अतः अपीलार्थी अपीलार्थी इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।